



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सीआईआर/965

16/01/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

विषय: भारत-यूरोपीय संघ एफटीए पर तत्काल इनपुट - उत्पत्ति के नियम - रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पीएसआर (अध्याय 28 से 40)

प्रिय महोदय/महोदया,

रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग ने हमें भारत-यूरोपीय संघ के बीच चल रही एफटीए वार्ता के बारे में जानकारी दी है। अब तक नौ दौर की वार्ता हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने विभिन्न लाइनों पर पीएसआर प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया है।

इस संबंध में, निर्यात किए गए उत्पाद की मूल्य श्रृंखला, मंत्रालय/हितधारकों से प्राप्त आदेशों और भारत के कुछ हालिया एफटीए जैसे कि ईएफटीए और यूके के साथ हुए एफटीए में परिलक्षित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समझौता प्रस्ताव तैयार किया गया है। आपके संदर्भ के लिए प्रस्ताव संलग्न है।

चूंकि मंत्रिस्तरीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक निर्धारित है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप समझौता स्थिति पर अपने इनपुट तत्काल नीचे हस्ताक्षरकर्ता को bharti@plexconcil.org anirudha@plexconcil.org पर ईओडी तक उपलब्ध कराएं। यहाँ क्लिक करें

करें कृपया इसे अत्यावश्यक समझें और जल्द से जल्द अपना उत्तर दें।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद